संख्या– 715 /XVI(1)/10/7(17)/07

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 26 अगस्त,2010

विषयः–मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–342/मशरूम उत्पादन/2010–11,दिनांक–30 जून, 2010 तथा तत्कम में प्रसार अधिकारी, मशरूम देहरादून के पत्रांक–290/मश0यो0/ दिनांक–16 जुलाई,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, प्रदेश में बटन मशरूम के अलावा ढ़ीगरी एवं मिल्की प्रजाति के मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के उददेश्य से शासनादेश संख्या–812/XVI(1)/07/7(56)/2007, दिनांक–09 अगस्त,2007 के द्वारा स्वीकृत मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना के कियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश के संलग्नक में जारी किये गये दिशा–निर्देशों में कमांक–5 मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना के मानक सं0–3 एवं 6 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

मानक संख्या	वर्तमान स्वरूप	प्रस्तावित दिशा–निर्देश	औचित्य
3	पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट के ढुलान पर शत प्रतिशत राजसहायता दी जायेगी।	पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट के ढुलान पर विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर निजी एवं राजकीय कम्पोस्ट प्लान्ट से अपनी उत्पादन इकाई के समीपस्थ रोड हेड तक 50 प्रतिशत राजसहायता देय होगी।	शत प्रतिशत राजसहायता दिये जाने से दूरस्थ क्षेत्र के उत्पादकों को कम्पोस्ट वितरण में अत्यधिक व्यय आ रहा है जो कभी कभी कम्पोस्ट के मूल्य से भी अधिक हो जाता है।
6	कम्पोस्ट निर्माण प्लान्ट द्वारा प्रतिवर्ष 300 मै0टन0 पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन किया जायेगा तथा राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बेरोजगार स्नातकों को	1–बटन मशरूम उत्पादन हेतु बिजाइ युक्त कम्पोस्ट की आपूर्ति 50 प्रतिशत राजसहायता पर की जायेगी,जिसकी अधिकतम सीमा 50 कुन्तल प्रति कृषक प्रति फसल चक होगी।	बटन प्रजाति के साथ–साथ अन्य प्रजातियों के उत्पादन से मशरूम उत्पादन का वर्षभर का कार्यकम बन जायेगा जिससे उत्पादकों को वर्षभर में आय अर्जित होगी

	20/– प्रति ट्रे (40 कि0ग्रा0 कम्पोस्ट) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/बी0पी0एल0 श्रेणी के कास्तकारों को 40/–प्रति ट्रे(40 कि0ग्रा0 कम्पोस्ट) के अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।	2– बटन, ढ़ीगरी एवं मिल्की प्रजाति का उच्च गुणवत्तायुक्त स्पान (मशरूम बीज) प्रतिष्ठित संस्थानों/प्रयोगशालाओं से क्रय कर 50 प्रतिशत राजसहायता पर 50/– प्रति कि0ग्रा0 की सीमा तक जिसकी अधिकतम 25 कि0ग्रा0 प्रति कृषक प्रति फसल चक्र होगी, उपलब्ध कराया जायेगा। 3–मशरूम उत्पादन को संकुल (क्लस्टर) में प्रोत्साहित करने के उददेश्य से सामुहिक रूप से कार्य करने वाले उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।	

2– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–09 अगस्त,2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा योजना की अन्य शर्ते व मानक यथावत रहेंगे। कृपया उपरोक्तानुसार योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु समुचित प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 715 /XVI(1)/10/7(17)/07,तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिग माजरा देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रसार अधिकारी, मशरूम देहरादून।
4– परियोजना समन्वयक, इण्डोडच मशरूम परियोजना, ज्योलीकोट।
5– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।